eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

ग्रामीण समाज में अपराध और पुलिस कार्यप्रणाली (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

[1]डॉ श्री भगवान
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद

Received: 10 July 2022, Accepted: 20 July 2022, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2022

Abstract

हजारों वर्षों से हमारे देश की भौगोलिक प्रकृति ग्रामीण अंचल की रही है। आज भी देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण जनसंख्या से युक्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640867 गांव हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत गांवों का देश है। गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ग्रामीण कृषि और व्यवसाय पर ही देश की राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति टिकी रहती है।

शब्द संक्षेप– भारत में ग्रामीण समाज, अपराध, पुलिस कार्यप्रणाली एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषण।

Introduction

भारत का संपूर्ण मानव निवास का भू भाग दो विशेष क्षेत्रों में बसा है= ग्रामीण क्षेत्र और नगरी क्षेत्र। प्रायः माना जाता है कि ग्रामीण जीवन शैली आज भी परंपरागत प्राचीन अधिक प्राकृतिक है। क्योंकि इनका आधार इन की धार्मिक भावनाएं विश्वास परंपराएं रूढ़ियां एवं सहजता है किंतु मैं आज यह समझता हूं कि अब ये विचार ग्रामीण जीवन शैली पर लागू नहीं होते। इसका कारण यह है कि गांव में भी शहरी संस्कृति का प्रभाव विगत 20 से 30 वर्षों से पहुंच रहा है। अतः बाहरी संपर्क के कारण गांव में भी अपराधियों के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। ग्रामीण समाज में होने वाले अपराधों को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है :–

1 व्यक्ति विरुद्ध अपराध :– ग्रामीण अपराधों पर अभी तक जितने भी अध्ययन हुए हैं उससे यह पता चलता है कि गांव में नगरों की अपेक्षा व्यक्ति केंद्रित अपराध अधिक होते हैं इसका प्रमुख कारण भी स्पष्ट है जैसे

1 ग्रामीणों का अशिक्षित होना ।

2 शारीरिक स्फूर्ति होना ।

3 भावनाओं पर नियंत्रण ना होना ।

4 छोटी मोटी बातों पर लड़ बैठना ।

5 बेज्जती को सहन न कर पाना ।

6 सहनशील ना होना।

7 पुलिस संगठन की व्यवस्था ना होना।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

8 होना किसी के बड़प्पन को बर्दाश्त न कर पाना।

9 चुगलखोर होना।

10 पूर्व झगड़े इत्यादि।

2 बलात्कार ।

3 जमीन जायदाद के अपराध ।

4 चोरी डकैती ।

5 आपसी झगड़े हत्या और बलवा ।

7 नियोजित अपराध ।

गांव में पुलिस के लिए वह व्यक्ति विशिष्ट हो जाता है जो अपराध के बदले पुलिस को पैसे का प्रलोभन देता है और अपराधियों को जुर्म से बचाने में पैसे लेता है और पुलिस का हिस्सा भी रखता है। जब तक गांव में डकैती बड़ी चोरी अथवा बलवा जैसे कांड नहीं होते तब तक पुलिस ग्रामीण प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लेती। थाना प्रभारी चूँकि नगरों के अपराधियों को अधिक महत्व देते हैं अतः ग्रामीण अपराधों पर विशेष ध्यान नहीं देते। परिणाम स्वरूप ग्रामीण अपराधों पर अंकुश नहीं लग पाता। पुलिस नागरिक के लिए संपर्क का पहला प्रत्यक्ष बिंदु है। यह इकलौती एजेंसी है जिसके पास लोगों के साथ संपर्क का सबसे व्यापक संभाव्य अवसर है। पुलिस के कार्य प्राया निरोधात्मक तथा नियामक प्रकृति के होते हैं। इस कारण एक नागरिक के मन में पुलिस की छवि जीवन स्वतंत्रता और आजादी में दखल देने वाले की ही हो जाती है। अपराध को रोकना और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य है। जब भी कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह उल्लंघन के आरोपी को पकड़े तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से न्याय के लिए उसे अदालत में पेश करें। पुलिस अनिवार्यता एक सार्वजनिक सेवा है। और लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह होती है यह कैसी सार्वजनिक संस्था है जो सरकार की किसी भी एजेंसी की तुलना में जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को उनके रोजमर्रा के जीवन में व्यापक रूप से प्रभावित करती है। वास्तव में पुलिस आलोचना का सर्वाधिक निशाना बनने वाली संस्था भी ह। इसलिए पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन अथवा दुर्व्यवहार तुरंत ही मीडिया तथा मानवाधिकार संस्थाओं की आलोचनात्मक निगाह में आ जाता है। एक संस्था के रूप में पुलिस का गठन तथा सशक्तिकरण कानून द्वारा होता है इसलिए पुलिस को जनता के प्रति अधिक उत्तरदाई होना चाहिए।

जब पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन सामने आता है तब इसके कारण नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और स्थापक के रूप में उसकी छवि से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है। रोजमर्रा की पुलिस कार्यवाही में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान में विफलता पुलिस से जनसहानुभूति और समर्थन को दूर कर देती है। इससे पुलिस में जनता का विश्वास कम हो जाता है। एक लोकतांत्रिक समाज में पुलिस के प्रमुख रूप से निम्न पांच लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं :–

1 अपराधों की रोकथाम तथा उनका पता लगाना।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

2 सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना।

3 कानून के शासन का सम्मान।

4 मानव की गरिमा का सम्मान।

5 नागरिकों की आजादी स्वतंत्रता तथा अधिकारों का सम्मान।

जांच से संबंधित पुलिस की शक्तियां तथा कार्यों में तलाशी पूछताछ गिरफ्तारी आदि शामिल है। इन अधिकारों और कानूनों को प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में प्रत्याभूत व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा आजादी एवं अन्य आपराधिक कानून ड्यूटी के समय पुलिस अधिकारियों की शक्तियों तथा कार्यकलापों को सीमा मई रखने का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में आम लोगों के बीच पुलिस की छवि को लेकर हुए एक अध्ययन से निम्न तथ्य उजागर हुए :––

11 प्रतिशत लोग ही कभी पुलिस से मिले जबकि 89 प्रतिशत लोगों का पुलिस से कभी सामना ही नहीं हुआ। इनमें से 24 प्रतिशत लोग शहरी तथा 17 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के थे। केवल 5 प्रतिशत महिलाएं ही पुलिस से कभी मिली थी। ये आंकड़े यह जाहिर करते हैं कि समाज का एक बड़ा सा हिस्सा पुलिस से मिलने या बात करने से हिचकता है। जब पुलिस राज्य सरकार के किसी अन्य सार्वजनिक कार्यालय जैसे राजस्व, नगर पालिका, जल निगम, विद्युत विभाग की तरह ही एक सार्वजनिक सेवा है, तब लोग पुलिस थाने जाने और पुलिस से मिलने में डरते क्यों है? आज आवश्यकता इस बात की है कि कैसे पुलिस स्टेशन को ऐसे जन स्वायत्त केंद्र के रूप में तब्दील किया जाए जहां लोग अपनी जरूरत पड़ने पर जा सके। भ्रष्टाचार भारतीय समाज जिसमें पुलिस भी शामिल है का हिस्सा बनता जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इन इंडिया द्वारा इस संबंध में एक अध्ययन कराया गया। इसमें 87 प्रतिशत लोगों ने यह कहा कि पुलिस कार्य कराने के बदले उन्होंने पुलिस को घूस दी है। अध्ययन में बताया गया कि लोग जब अपनी ही शिकायतें लेकर पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस का रवैया बहुत ही उदासीन रहता है। इस कारण वे पैसा देकर अपना काम कराने को मजबूर होते हैं। मजेदार बात यह है कि इनमें 70 प्रतिशत लोगों ने घूस देने के अतिरिक्त पुलिस से अपना काम सीधे नहीं बल्कि ऊपर से दबाव डलवा कर अथवा दलाल के माध्यम से करवाया। पुलिस को शक के आधार पर व्यापक शक्तियां प्राप्त है। इसका दुरुपयोग भी संभव है। कुछ सीमा तक बल प्रयोग पुलिस भूमिका का कानूनी अंग है। गिरफ्तारी तथा पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार है लेकिन ऐसा करते समय व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। गैरकानूनी जमावड़ा हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार है। हालात की मांग के अनुसार पुलिस न्यूनतम बल का ही प्रयोग कर सकती है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी यह माना कि हिरासत में अकेले और असहाय व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग घोर अवैध और घृणास्पद है। पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन कई रूपों में हो सकता है इसमें अवैध हिरासत गिरफ्तारी से लेकर झूठे आरोप और प्रताड़ना तक शामिल है। जिससे पुलिस अथवा न्यायिक हिरासत में मौत तक हो सकती है। पुलिस में बलात्कार तथा लापता होने के मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रतिवर्ष पुलिस के

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

विरुद्ध हजारों शिकायतें मिलती है। पुलिस सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं जो निम्न प्रकार हैं :––

1 पुलिस को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और इसके द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों का पालन और उनकी स्थापना की दिशा में प्रयास करना चाहिए।

2 पुलिस को किसी प्रचलित कानून की आवश्यकता अथवा उसके औचित्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।

3 पुलिस को अपनी शक्ति और कार्य क्षेत्र की सीमाओं को पहचानना तथा उनका सम्मान करना चाहिए।

4 कानून का पालन अथवा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो समझाकर सलाह देकर और चेतावनी देने आदि के तरीकों का प्रयोग करना चाहिए।

5 पुलिस का मुख्य कार्य अपराध और अराजकता को रोकना है। इसके लिए उन्हें दिखावा नहीं बल्कि अपराध और अराजकता को समाप्त करना ही पुलिस की क्षमता का मापक है।

6 पुलिस को यह समझना होगा कि वे जनता का हिस्सा है। अंतर केवल इतना है कि समाज के हित में समाज की ओर से कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी दी गई है।

7 पुलिस को विनम्र और संस्कारी होना चाहिए। वे निष्पक्ष और भरोसेमंद बने। उनके पास गरिमा और साहस हो।

8 पुलिस को अपने कर्तव्य को स्वयं से ऊपर रखना चाहिए खतरे तिरस्कार अथवा उपहास के बीच संयम रखना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. डा0 चतुर्वेदी शैलेन्द्र कुमार– '' भारतीय पुलिस का इतिहास (अतीत काल से मुगल काल तक), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो , ग्रहमंत्रालय, भारत सरकार, 1987 पृ0 5
2. श्री निवास एम0एन0 ईण्डिया– सोषल स्ट्रक्चर, पब्लिकेशन डिवीजन, भारत सरकार, 1969, पृ0 83
3. Ogburn W.F. and Nimkoff MF.; A Handbook of Society, Routledge and Kegan Paul Ltd., London] P- 459
4- Kettkar, S.V.; History of Caste in India, Ithaia, New York, 1909 P- 15
5. टायलर, बी0 एडवर्ड; प्रीमिटिव कल्चर, जॉन मुर्रे, लन्दन, 1993, पृ0 424
6. मिश्रा पी0के0– एन आउटलाइन आफ सोषल एंथ्रोपोलाजी , विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली–7, 1997 पृ0 37